बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 381171 पटना, दिनांक 26/07/2018

ग्रा0वि0- 08 SAGY02/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिलों में प्रभारी अधिकारी (Charge Officer) नामित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायतों में प्रभारी अधिकारी **(Charge Officer)** नामित करने का प्रावधान है । संबंधित ग्राम पंचायत में योजना के कार्यान्वयन में समन्वय की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रभारी अधिकारी (Charge Officer) की है । दिनांक- 27.06.2018 एवं 29.06.2018 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कतिपय जिलों द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित पंचायतों के लिए पर्याप्त वरीयता प्राप्त सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति प्रभारी अधिकारी (Charge Officer) के रूप नहीं की गई है, जिससे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वयन एवं समीक्षा में कठिनाई आ रही है ।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका - 12 (घ) के अनुसार "जिला पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरीयता वाला समक्ष प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करेगा और कार्यान्वयन के लिए पूर्णत: जिम्मेवार एवं जबावदेह होगा" ।

अत: अनुरोध है कि इस योजना अंतर्गत चयनित पंचायतों के लिए पर्याप्त वरीयता वाले सक्षम प्रभारी पदाधिकारी को नामित किया जाय, जो वरीय उप समाहर्त्ता से न्यून स्तर का नहीं होना चाहिए ताकि इस योजना की समीक्षा एवं कार्यान्वयन का समन्वय उचित ढंग से हो सके ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
संयुक्त सचिव ।

A. Letter Sec-8 No- 1154